

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in



Gangesh Kumar Raidas Joining Letter

	कार्यालय सिव जनभागीदारी समिति
4	शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर जिला अनूपपुर ग.प्र
B	क्रमाक 1 1203 / 2021 अनुप्रपुर, विनाक 23 11/21
	मित नाम अर्थ गंतरे म अगार देखारा
	that this party - The Destity
	du tim Estan de Bassinglie Blat. 3190.25
	ਕਿਲਮਾ—ਪਹਿਲੀ ਭਿਭਾਜੀ ਰਹੇ ਧਾਤ 2024—22 ਗੇ ਗਿੰਪ ਗਸੰਤਪ।
	संदर्भ:—1.उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र.938/398/आउशि/शा-2/21 भोपाल
	दिनांक 30.06.2021 2.पत्र क्र.483 / 166 / आईटी / आउशि / 2021, भोपाल दिनांक11.11.2021
_	243 क. 483 / 100 / आइटा / आजरा/ 2021, नानार निर्माण मानारिकालय (जिसी)
	विषयांतर्गत एतद द्वारा उक्त संदर्भित पत्रों के परिपालन में आपको शासकीय महाविद्यालय विस्ति । अपको से शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए विषय प्राप्ति किंग् किंग् किंग् व्याख्यान हेतु
	अभावत किया जाता है।
	यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा:— 1. यह आमंत्रण सत्र 2021—22 में 12 माह अथवा नियमित प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक/ग्रंथपाल/
	क्रीडाधिकारी की पदस्थापना / नियुवित होने तक के लिए होगा।
	व भारती महाविद्यालय में तीन दिवस के अंदर (कार्यालयीन समय) तक कार्यनार प्रकार
	निधारित तिथि तक उपस्थिति न दन पर आमंत्रण स्वतः निर्मा के प्रतिकार रहना अनिवार्य होगा।
	3. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 05 घट तथा प्रति संपाह न्यूनतम वर्ण प्रति विद्वान द्वारा प्रति संप्ताह जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वान द्वारा प्रति संप्ताह
	जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घट का कार्यकाल अपावत है। जाताच निर्मा निर्मा रेमेडिलय न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त द्यूटोरियल, रेमेडिलय
	न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना आनवाय होगा, इसके जातात्वर प्रत्या कार्यभार में क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में
	वृद्धिकीजा सकती है। 4. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंछिका 5.1 के अनुसार
	होगा।
	5. लगातार 15 कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर आमंत्रण निरस्त कर दिया जायना। 6. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा
	बल्हा।
	सकेगा। 7. आपको महाविद्यालय में पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य
	शासकीय / अंदशासकीय / अंशासियाय राजा को आरोग एफ 1-42 / 2017 / 38-1 भाषाल
	a आपको म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विनान पत्राराच
	9. यह आमत्रण माननाय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।
	grade Trans
	9. यह आनंत्रण पार्रापालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा। होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा। PRINCIPAL P
	जनभा, सिमिद्धिः त्रुतार्ष्ठिः अनूपपुर
	पुक्र./1204 / 302 l
	प्रतिलिपि-
	प्रतिलिपे— 1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा म.प्र.।
	जीन पवि ।
	(mal)
	प्राचामका अस्ति। प्राचीन अस्ति। प्राचीन अस्ति। प्राचीन अस्ति। प्राचीन अस्ति। प्राचीन अस्ति। प्राचीन अस्ति। प्र
	PRINCIPLE Anuppur
	Govt. Tulsi College Anuppur (M.P.) Distt. Anuppur (M.P.)
1	Distr